ढाबे की आड़ में शराब बेचने वाले को थाना बलुवाकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार

शराब पीकर वाहन चलाने में वाले वाहन चालक को थाना मुनस्यारी पुलिस ने किया गिरफ्तार

यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 116 लोगों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, श्रीमती रेखा यादव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़, श्री परवेज अली के पर्यवेक्षण में जनपद क्षेत्रान्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रुप से अंकुश लगाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में दिनांक 13.05.2024 को जनपद पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी-

1-थानाध्यक्ष बलुवाकोट श्री अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु होटल ढाबे चैकिंग के दौरान कस्बा बलुवाकोट स्थित धामी भोजनालय में अवैध रूप से शराब परोसने/ बेचने में ढाबा संचालक सुरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम पोखरी थाना बलुवाकोट को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना बलुवाकोट में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

2-उ0नि0 बी0सी0 मासीवाल मय थाना मुनस्यारी पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक देवराज सिंह धामी निवासी ग्राम पैकुती पापड़ी थाना मुनस्यारी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 116 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।